<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक <u>390 ∕ 10</u> संस्थित दिनांक—22.06.2010 फा.नंबर—234503000472010

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म0प्र0

....अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

दूबराज पिता सम्मेलाल सरोते जाति गोंड, उम्र 28 वर्ष, निवासी राजो बिछिया, जिला मण्डला म0प्र0।

.....आरोपी

:<u>:निर्णयः:</u> { दिनांक_07.09.2017 को घोषित}

01. आरोपी के विरूद्ध धारा—279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत् दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 08.04.2010 को दिन के 10:30 बजे ग्राम कासिंगखार आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी.50ए 0849 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर ट्रेक्टर को पलटाकर आहत भारत, भगतिसंह, नोहरिसंह, उम्मेदिसंह, आशीष, सुरेन्द्र, रामप्रसाद, हिरप्रसाद, सुरेश, जगदीश, अमित, जीवनिसंग, भगतिसंह, जिन्द्र अनिल, रंजित, वीरेन्द्र, धिनराम को साधारण उपहित कारित किया तथा आह्त जगतिसंह, गणेश, देवीप्रसाद, नवलिसंह, हरेसिंह की अस्थी भंग कर घोर उपहित कारित किया तथा पन्छूसिंह की मृत्यू कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी भारतिसंह परते ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह करीब 25—30 लोगों के साथ शिवकुमार की शादी में सिम्मिलित होकर ग्राम लगमा से ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50ए0849 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50ए.0841 में बैठकर ग्राम बलगांव घर वापस आ रहे थे। ट्रेक्टर दूबराज सरोते चला रहा था। ट्रेक्टर चालक ने ट्रेक्टर को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लगभग 10:30 बजे ग्राम कासिमखार में स्कूल तिराहा के पास ट्रेक्टर ट्राली को पलटाकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे ट्राली में बैठा पन्छू गोंड ट्राली में दबने के कारण चोट लगने से खत्म हो गया। उसे घटना में सिर के दोनों तरफ, दाहिने पैर के जांघ, बांये पैर की पिंडली में चोटें आई तथा साथ में बैठे अन्य लोगों को भी चोटें आई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। मृतक के शव पंचनामा एवं नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही, घटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती एवं गिरफ्तारी

की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 30 / 10 तैयार किया कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूटा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 01. क्या आरोपी ने दिनांक 08.04.2010 को दिन के 10:30 बजे ग्राम कासिंगखार आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी.50ए 0849 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित ?
- 02. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर ट्रेक्टर को पलटाकर आहत भारत, भगतसिंह, नोहरसिंह, उम्मेदसिंह, आशीष, सुरेन्द्र, रामप्रसाद, हरिप्रसाद, सुरेश, जगदीश, अमित, जीवनसिंग, भगतसिंह, जिन्द्र अनिल, रंजित, वीरेन्द्र, धिनराम को साधारण उपहित कारित किया ?
- 03. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आह्त जगतसिंह, गणेश, देवीप्रसाद, नवलसिंह, हरेसिंह की अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
- 04. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर पन्छूसिंह की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

ःसकारण निष्कर्षःः

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 04

सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के आशय से सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05. साक्षी रामप्रसाद पन्द्रे अ०सा०—०१ ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी का कथन है कि वह दिनांक 20.04.2010 को गांव के पन्नू, भरत, सुरेश आदि लोगों के साथ बारात में गया था। यह अस्वीकार किया कि बारात के समय आरोपी द्वारा ट्रेक्टर कमांक एम. पी.50सी 0840, ट्राली कमांक एम.पी.50ए0841 को लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने के

कारण उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तथा उसका डॉक्टरी मुलाहिजा हुआ था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

- साक्षी भारत अ०सा०-०२ ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसने थाने में जाकर घटना की रिपोर्ट लिखाया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटना के संबंध में उसे गांव में जानकारी मिली थी, जब वह जाकर पुलिस थाना मलाजखंड में रिपोर्ट किया था। साक्षी के अनुसार उसने प्र.पी.02 की रिपोर्ट नहीं लिखाया था, किन्तु प्र.पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने मृग इंटीमेशन प्र.पी.03 की जानकारी थाने में नहीं दिया था, किन्तू प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मौका-नक्शा प्र.पी.04 उसके समक्ष नहीं बनाई थी। प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि वह दिनांक 08.04.10 को ग्राम बलगांव के शिवकुमार की शादी में रामप्रसाद, पंछू, रंजित, धीरेन्द्र आदि के साथ गये था, शादी की बारात वाले द्रेक्टर कमांक एम.पी. 50ए0840, ट्राली कमांक एम.पी.50ए0841 को आरोपी चला रहा था, उक्त वाहन को आरोपी तेजगति से एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, आरोपी की गलती से वाहन दृध टिनाग्रस्त हुआ और मृतक पंचूसिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, आरोपी से उसके अच्छे संबंध है, इसलिये आरोपों को बचाने के लिये वह झूठा कथन कर रहा है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.05 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रपी02, प्र.पी.03 तथा प्रपी-04 में पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे और उसने सभी दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था, वह घटना के संबंध में कुछ नहीं जानता और ना ही उसने कुछ सुना था।
- 07. साक्षी राजू पन्द्रे अ0सा0—03 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक 08.04.10 को ग्राम गुदमा में शिवप्रसाद की शादी में साक्षी, उर्मिला बाई तथा और भी गांव के लोग गये थे, वह शादी बारात में ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 50ए0840 ट्राली क्रमांक एम.पी. 50ए0841 में गये थे, उक्त ट्रेक्टर को आरोपी दूबराज चला रहा था, आरोपी दूबराज द्वारा ट्रेक्टर को लापरवाहीपूर्वक एवं तेजगति से चलाने से उक्त ट्रेक्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें मृतक पंचूसिंह की मृत्यु हुई थी, उसे घाटना के संबंध में जानकारी है, आरोपी उसका पहचान का है, इसलिये वह सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी—6 पुलिस को न देना व्यक्त

किया। साक्षी को शव पंचनामा प्रपी—7 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रपी—8 के हस्ताक्षर दिखाये जाने पर उसने उपरोक्त हस्ताक्षर उसके न होना व्यक्त किया।

- 08. साक्षी सुरेश अ0सा0—04 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। वह मृतक पंचूसिंह को भी नहीं पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पूर्व बासिमखार की है। वह लोग गांव की बारात द्वेक्टर से गये थे। उक्त द्वेक्टर कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। द्वेक्टर पलट गया था, पलटने से उसे हाथ में चोट लगी थी। पहले धीमी फिर थोड़ा तेज हुआ था, किसकी गलती से पलटा वह नहीं बता सकता। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। उसका डॉक्टरी मुलाहिजा हुआ था। साक्षी को उसका पुलिस बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसा कथन न देना व्यक्त किया।
- साक्षी जीवनसिंह अ0सा0-05 ने कहा है कि वह उपस्थित आरोपी को 09. नहीं पहचानता। घटना पिछले वर्ष की है। वह लोग लगमा से द्रेक्टर में आ रहे थे, कौन चला रहा था वही देख नहीं पाया था। गाडी थोडे धीमी गति से चल रही थी. कैसे दुर्घटना हुई उसे नहीं मालूम। उक्त घटना से उसे चोट लगी थी। उक्त घटना में पंचूसिंह फौत हो गया बोल रहे थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसे यह याद नहीं होना व्यक्त किया कि उसने पुलिस को बयान दिया था या नहीं। साक्षी ने उसका पुलिस बयान पुलिस को देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया कि उसने उपर घटना के संबंध में जानकारी न होने के संबंध में बताया है वह घटना के बारे में उसे कुछ याद नहीं होने के कारण बताया था। साक्षी के अनुसार उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह जिस द्रेक्टर में बैठा था, वह किस कंपनी का और उसका नंबर क्या था, उसे नहीं मालूम, उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था, उसने पुलिस को ऐसा बयान नहीं दिया था कि आरोपी ने तेज गति एवं लापरवाही से ट्रेक्टर चलाकर पलटा दिया था, यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान में लिखि हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता, उसने द्रेक्टर का नंबर भी पुलिस बयान में नहीं बताया था, उसने आरोपी का नाम भी पुलिस वालों को नहीं बताया था तथा उसने उपस्थित आरोपी को द्रेक्टर चलाते नहीं देखा था।
- 10. साक्षी भगतिसंह अ०सा०—०६ ने कहा है कि वह आरोपी एवं आहतगणों को नहीं पहचानता है। वह मृतक को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पूर्व सुबह 10.00 बजे की है। वह लगमा द्रेक्टर से बारात में गये थे और बारात से घर वापस आ रहे थे, द्रेक्टर कौन चला रहा था, उसे वह नहीं पहचानता, वह बाहर का था, तभी बासी खान के पास गाड़ी पलट गई थी। गाड़ी धीमी गित से चल रही थी। गाड़ी पलटने से उसे हाथ और सिर में चोटें आई थी, जिससे

वह बेहोश हो गया था। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ था। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि देक्टर क. एम.पी.50/0840 को आरोपी तेज गति से चला रहा था, आरोपी की लापरवाही से घटना हुई थी, वह आरोपी को बचाने के लिये झूठा कथन दे रहा है तथा उसने पुलिस को प्रपी—9 का कथन दिया था।

- 11. साक्षी जगदीश कुमार अ०सा०—07 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। वह मृतक को पहचानता है जो कि उसका भाई है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की सुबह 10 बजे की है, वह लोग बारात गये थे और वह लोग देक्टर से बारात से वापस आ रहे थे। देक्टर कौन चला रहा था, उसे नहीं मालूम। देक्टर धीमी गित से चल रहा था। दुर्घटना में देक्टर पलट गया था, जिससे वह बेहोश हो गया था, उसे बाये आंख पर चोट आई थी। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह लोग बारात में शिव कुमार की शादी में गये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि देक्टर का नंबर एम.पी.50ए0840 है तथा देक्टर को आरोपी दूबराज तेज रफतार एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि देक्टर के गड्ढे में गिर जाने से सभी को चोटें आई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रपी—10 का कथन दिया था।
- साक्षी जितेन्द्र मेरावी अ०सा०–०८ ने कहा कि वह आरोपी दूबराज को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक 08.04.2010 को ग्राम बलगांव से शिवकुमार की शादी में सम्मिलित होने के लिए आरोपी दुबराज के द्रेक्टर एम.पी.50ए 0840 एवं ट्राली कमांक एम.पी. 50ए—0841 में बैठ कर गया था और वापस घर बलगांव आ रहा था, उस समय आरोपी ने द्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर स्कूल तिराहा मोड़ पर समय 10.30 बजे पलटा दिया था, दिनांक 08.04.10 को आरोपी दूबराज द्वारा ट्रेक्टर कमांक एम.पी.50ए–0849 की तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटा कर आहत भारत, भगतसिंह, नोहरसिंह, उम्मेदसिंह, आशीष, सुरेन्द्र, रामप्रसाद, हरिप्रसाद, सुरेश, जगदीश, अमित, जीवनसिंह, भगतसिंह, जितेन्द्र,अनिल, रंजित, वीरेन्द्र, धनीराम को उपहति कारित हुई थी व पंछुसिंह की मृत्यु हो गई थी, आरोपी दुबराज उसका परिचित है, इसलिए वह आरोपी को बचाने के लिए झूठे कथन कर रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 08.04.10 को उसे चोट आई हो और उसका ईलाज हुआ हो ऐसा नहीं हुआ था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि दिनांक 08.04.10 को शासकीय अस्पताल में उसे दुर्घटना में आई चोट का ईलाज हुआ था, घटना दिनांक को वह स्वयं ही द्रेक्टर में बैठकर वापस ग्राम बलगांव आ रहा था तथा उसने पुलिस को प्रपी–11 का कथन दिया था।

- 13. साक्षी रंजीत मेरावी अ०सा०—०९ ने कहा है कि वह आरोपी दूबराज को नहीं जानता है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और तब उसने बताया था कि आरोपी दूबराज ने दिनांक 08.04.10 को ट्रेक्टर कमांक एम.पी.50ए—0849 एवं ट्राली कमांक एम.पी.—50ए—0841 को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर स्कूल तिराहा मोड़ पर समय करीब 10.30 बजे पलटा दिया था, आरोपी द्वारा ट्रेक्टर पलटी खिलाने से भारत, भगतसिंह, नोहरसिंह, उम्मेदसिंह, सुरेन्द्र, रामप्रसाद, हरिप्रसाद, सुरेश, जगदीश, अमित, जीवन, जितेन्द्र, अनिल, विरेन्द्र, धनीराम और उसे चोट आई थी और पंछूसिंह की मृत्यु हो गई थी, एक्सीडेंट में उसे चोट आई थी और पुलिस ने उसका उपचार अस्पताल में कराई थी, आरोपी उसका रिश्तेदार है इसलिए उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी—12 पुलिस को न देना व्यक्त किया।
- 14. साक्षी अमित कुमार अ०सा०—10 ने कहा है कि वह आरोपी दूबराज को नहीं जानता है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, तब उसने बताया था कि आरोपी दूबराज ने दिनांक 08.04.10 को देक्टर कमांक एम.पी.—50—ए—0849 एवं ट्राली कमांक एम.पी.—50—ए—0841 को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर स्कूल तिराहा मोड़ पर समय करीब 10.30 बजे पलटी खिला दिया था, आरोपी द्वारा देक्टर पलटी खिलाने से भारत, भगत, नोहरसिंह, उम्मेदसिंह, आशीष, सुरेन्द्र, रामप्रसाद, हरिप्रसाद, सुरेश, जगदीश, जीवनसिंह, भगतसिंह, जितेन्द्र, अनिल, रंजित, वीरेन्द्र, धनीराम और उसे उपहित कारित किया था और पंछूसिंह की मृत्यु हो गई थी, दिनांक 08.04.10 को उसे चोट आई थी और उसका ईलाज हुआ हो ऐसा नहीं हुआ था, आरोपी दूबराज उसका परिचित है इसलिए आरोपी को बचाने के लिए झूटे बयान न्यायालय में दे रहा है और सही जानकारी नहीं दे रहा है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी—13 पुलिस को न देना व्यक्त किया।
- 15. साक्षी नवलिसंह अ०सा०—11 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना एक वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह देक्टर में बैठकर लगमा से वापस बलगांव जा रहा था तो उक्त देक्टर में उसके अलावा बहुत से लोग बैठे थे जो बारात में गये थे। देक्टर कोन चला रहा था वह नहीं जानता क्योंकि वह पीछे बैठा था। जैसे ही उनका देक्टर बासीगछार पहुंचा तो चलाने वाले की गलती से पलटी खा गया था जिससे उसके दाहिने कंधे में चोट लगी थी, उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाध्वाट में हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह

अस्वीकार किया कि जिस द्रेक्टर में बारात वापस आ रही थी, जिसे ग्राम राजो का आरोपी दूबराज चला रहा था। यह स्वीकार किया कि यदि द्रेक्टर का चालक द्रेक्टर को धीमी गति एवं नियंत्रित गति से चलाता तो द्रेक्टर नहीं पलटता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि वह आरोपी दूबराज से मिल गया है इसलिए वह उसे बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है, उसने पुलिस को प्रपी—14 का कथन दिया था, घटना के समय उसके द्वारा द्रेक्टर का नंबर, आरोपी का नाम एवं उसके द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाने वाली बात बयान होने के कारण मैने प्रपी—14 में बता दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था वह द्रेक्टर में पीछे बैठा था इसलिए ट्रेक्टर धीमा या तेज चल रहा था, वह नहीं बता सकता।

- 16. साक्षी सुरेन्द्र अ०सा०—12 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना वर्ष 2010 की है। घटना दिनांक को वह ग्राम लगमा से बलगांव वापस बारात से आ रहा था। घटना ड्रायवर की लापरवाही से हुई थी, क्योंकि ड्रायवर ने बासिंगखार ग्राम में पलटा दिया था और जिस स्थान में पलटा दिया था, वहां पर पक्की सड़क थी। उसे उक्त दुर्घटना में कमर पर चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल मोहगांव में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। घटना के समय वह द्रेक्टर के पीछे तरफ बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि द्रेक्टर कैसे और किस गित से चल रहा था और किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी।
- 17. साक्षी भगतिसंह अ०सा०—13 ने कहा है कि वह आरोपी दूबराज को नहीं जानता है। घटना दिनांक को वह ट्रेक्टर में बैठकर ग्राम लगमा से बारात के साथ ग्राम बलगांव आ रहा था और जैसे ही उनका ट्रेक्टर ग्राम बांसिंगखार पहुंचा तो ट्रेक्टर पलट गया था। उक्त ट्रेक्टर कैसे पलटा इसकी जानकारी नहीं है। घटना में उसे सिर पर चोट आई थी। उसका ईलाज मोहगांव में हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 08.04.10 को वह शिवप्रसाद की शादी में सम्मिलित होकर वापस ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.—50—ए—0849 में बैठकर ग्राम गुदमा से वापस बलगांव आ आ रहा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उक्त ट्रेक्टर को आरोपी दूबराज चला रहा था, आरोपी दूबराज ने ट्रेक्टर को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ग्राम बासिंगखार के स्कूल तिराहा मोड पर ट्राली पलटा दिया था, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पंछूसिंह दब गया था। यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रपी—15 का कथन दिया था,
- 18. साक्षी जगतसिंह अ०सा०—14 ने कहा है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह

स्वीकार किया कि दिनांक 08.04.10 को वह शिवप्रसाद की शादी में शामिल होकर वापस देक्टर में बैठकर ग्राम लगमा से बलगांव आ रहे थे। उक्त देक्टर किसका था उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उक्त देक्टर नानीबाई ग्राम झांमुल का था उक्त देक्टर जिस पर वह लोग आ रहे थे आरोपी चला रहा था, आरोपी दूबराज ने बासिंगखार में देक्टर को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चला कर स्कूल तिराह मोड़ पर पलटा दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे उक्त दुर्घटना में दाहिने तरफ की कनपटी में चोट लगी थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक पंछूसिंह की ट्राली में दबकर मृत्यु हो गई थी। यह स्वीकार किया जहां घटना घटी थी वहां पर रोड़ खराब नहीं थी, देक्टर का चालक यदि नियंत्रित गति से देक्टर को चलाता तो उक्त घटना नहीं होती। उसने पुलिस कथन प्रपी—16 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

- 19. साक्षी आशीष अ0सा0—15 ने कहा है कि वह आरोपी दूबराज को नहीं पहचानता है। घटना दिनांक को वह देक्टर में बैठकर ग्राम लगमा से बरात वापस बलगांव आ रहा था। ग्राम बासिंगखार के पास उनका देक्टर पलट गया था, किसकी गलती से पलटा था इसकी जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि बासिंगखार पहुंचने पर देक्टर चालक ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर स्कूल तिराहा मोड़ पर ट्राली को पलटा दिया था, ट्राली में बैठे लोगों के साथ—साथ वह भी ट्राली से गिर गया था। उक्त दुर्घटना में दाहिने हाथ पर चोट लगी थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल मोहगांव एवं बालाघाट अस्पताल में हुआ था। यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर रोड़ अच्छी थी और यदि ट्रेक्टर चालक ठीक तरह से उक्त देक्टर को चलाता तो दुर्घटना नहीं होती, किन्तु यह अस्वीकार किया कि घटना के समय ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था।
- 20. साक्षी हरेसिंह अ०सा०—16 ने कहा कि वह आरोपी दूबराज को नहीं पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह ग्राम लगमा बारात से वापस बलगांव ट्रेक्टर में बैठ कर आ रहे थे। उनका द्रेक्टर बासिंगखार में पलट गया था। उक्त दुर्घटना ट्रेक्टर चालक की गलती से हुई थी। वह द्रेक्टर चालक को नहीं जानता है। उक्त दुर्घटना में उसे नाक पर चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आरोपी दूबराज घटना के समय द्रेक्टर चला रहा था। साक्षी के अनुसार वह नहीं बता सकता कि ट्रेक्टर को कौन चला रहा था। यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पक्की सड़क थी तथा ड्रायवर की लापरवाही से दुर्घटना हुई थी।

- 21. साक्षी गणेश अ0सा0—17 ने कहा कि वह आरोपी को जानता हैं। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 08.04.10 की है, वह देक्टर में बैठकर बाजा बजाने के लिए गया था। उसके साथ बाजा बजाने के लिए धनीराम, नोहर, पण्डरू वगैरह भी गये थे। आरोपी ने देक्टर को तेजी से चलाकर पलटा दिया था। यह स्वीकार किया कि देक्टर तेज गित से चलने के कारण ट्राली पलट गई थी, जिससे उसका पैर टूट गया था। उसका उपचार बालाघाट अस्पताल में हुआ था। उसके साथी पंडरू की मृत्यु हो गई थी। उसत दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। उसे देक्टर का नंबर याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह बारात में बाजा बजाने के लिए गया था। बारात कौन से देक्टर से गये थे, वह उसका नम्बर नहीं बता सकता, वह देक्टर ट्राली में पीछे की ओर बैठा था, मोड़ में अचानक देक्टर पलट गया था, देक्टर को कौन चला रहा था उसे मालूम नहीं है। उसने पुलिस को कथन देते समय देक्टर का नंबर नहीं बताया था।
- साक्षी नोहर अ०सा०–18 ने कहा कि वह आरोपी को जानता हैं। घटना 22. उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सुचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 08.04.10 की है। साक्षी ने यह स्वीाकर किया कि वह द्वेक्टर में बैठकर बाजा बजाने के लिए गया था। उसके साथ बाजा बजाने के लिए धनीराम, पण्डरू वगैरह गये थे। आरोपी ने द्रेक्टर को तेजी से चलाकर पलटा दिया था। यह स्वीकार किया कि द्वेक्टर तेज गति से चलाने के कारण ट्राली पलट गई थी, जिससे उसका पैर टूट गया था। उसका उपचार बालाघाट अस्पताल में हुआ था। उसके साथी पंडरू की मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से घटित हुई थी। उसे ट्रेक्टर का नंबर याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह बारात में बाजा बजाने के लिए गया था, बारात कौन से द्रेक्टर से गये थे उसका नम्बर वह नहीं बता सकता, वह द्वेक्टर ट्राली में पीछे की ओर बैठा था, मोड़ में अचानक द्वेक्टर पलट गया था, द्रेक्टर को कौन चला रहा था, उसे मालूम नहीं है। उसने पुलिस को कथन देते समय द्रेक्टर का नंबर नहीं बताया था।
- 23. साक्षी उमेदिसंह अ०सा०—19 ने कहा कि वह आरोपी को जानता हैं। घटना वर्ष 2010 की है। वह लोग ग्राम बलगांव से ट्रेक्टर में बारात लेकर ग्राम लगमा गये थे। ग्राम लगमा से वापस आ रहे थे तब ग्राम वासिंगखार में ट्रेक्टर चालक ने ट्रेक्टर को पलटा दिया था और वह ट्राली में पीछे बैडा था। दुर्घटना में उसे व अन्य

लोगों को चोटे आई थी तथा पंचुलाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी दूबराज ने ट्रेक्टर को घटना दिनांक को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलांकर पलटा दिया था, जिससे उन्हें चोटें आई थी और पंचूसिंह की मृत्यु हो गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह ट्राली में पीछे बैठा था। यह अस्वीकार किया कि वह ट्राली में सोया हुआ था। यह स्वीकार किया कि घटना कैसे हो गई उसे समझ में नहीं आया, घटना के समय आरोपी ट्रेक्टर को सामान्य गित से चला रहा था। साक्षी के अनुसार मोड़ आने के कारण दुर्घटना घटित हुई थी, उसने पुलिस को बयान देते समय ट्रेक्टर का नंबर नहीं बताया था तथा घटना आरोपी की गलती से हुई थी यह बात भी नहीं बताया था तथा उक्त बात उसके पुलिस कथन में लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता।

- 24. साक्षी देवीप्रसाद उर्फ देवीसिंह अ०सा०—20 ने कहा कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 05 वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को लगमा से बलगांव वापस ट्रेक्टर में बैठकर आ रहा था। ड्रायवर की गलती से ट्रेक्टर पलट गया था। दुर्घटना में उसका बांया पर फ्रेक्चर हो गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि घटना के समय वह लगमा से आ रहा था और उसके साथ भगत और जगत भी था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसे पैर में कैसे चोट आई उसे नहीं पता। साक्षी के अनुसार ट्रेक्टर पलट गया था। यह स्वीकार किया कि उसे चोट ट्रेक्टर के पलटने से नहीं आई थी, वह स्वयं जमीन पर गिर गया था, जिससे उसे चोट लगी थी, वह घटना के पूर्व से विकलांग है और बोल नहीं सकता है, ड्रायवर की गलती से दुर्घटना घटित नहीं हुई थी।
- 25. साक्षी धनीराम अ०सा०—21 ने कहा कि वह आरोपी दूबराज को नहीं पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4—5 वर्ष पूर्व दिन के लगभग 12.00 बजे की है। घटना दिनांक को वह अन्य 30—35 लोगों के साथ ट्रेक्टर में बैठकर गुदमा से बलगांव वापस आ रहे थे, जैसे ही उनका ट्रेक्टर बासिंगखार मोड़ पर पहुंचा, उसी समय मोड़ पर ट्रेक्टर की ट्राली पलट गई। ट्राली में बैठे लोग छिटक कर गड़ढे तरफ गिर गये थे। वह ट्राली में बैठा था, दुर्घटना में उसे कमर और हाथ में चोटें आई थी। उक्त ट्रेक्टर गोविंद मेरावी ग्राम झामुल का था। उक्त दुर्घटना ज्ञायवर की गलती से हुई थी। वह ड्रायवर को नहीं पहचानता है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल मोहगांव में हुआ था। उक्त दुर्घटना में पंछूसिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा अन्य बैठे लोगों को भी चोटें आई थी।

- साक्षी डॉ. डी.के. राउत अ०सा०-22 ने कहा कि वह दिनांक 21.04.2010 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 09.04.2010 को एक्सरे टेक्नेसियन ए.के. सैन ने आहत जगत के दाहिने कंधे का एक्सरे किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट क्रमांक 1480 थी, उसे डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतू रिफर किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके हाथ की ह्यूमरस हड्डी के हेड वाले भाग में अस्थिमंग होना पाया था तथा स्केपूला हड्डी के बाहरी भाग में उपर की ओर अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 है। उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सैन ने आहत देवीप्रसाद के दाहिने पैर और घुटने के जोड़ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 1478 था, उसे डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतू रिफ्र किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने दाहिने पैर की टिबिया और फिबुला हडडी के उपरी भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-2 है। उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सैन ने आहत नवलसिंह के दाहिने कंधे के जोड़ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 1481 था, उसे डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतू रिफर किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने दाहिने कंधे की क्लेविकल हडडी के बाहरी भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–19 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए–3 है।
- साक्षी डॉ. डी.के. राउत अ०सा०-22 के अनुसार उक्त दिनांक को 27. टेक्नीशियन ए.के. सैन ने आहत नोहरसिंह के बांये टकने के जोड़ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 1482 था, उसे डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतृ रिफर किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-4 है। उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सैन ने आहत गणेश के दाहिनी जांघ व घूटने के जोड़ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 1479 था, उसे डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतू रिफर किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके दाहिने जांघ की फीमर हड़डी के मध्य भाग में अस्थिभंग होना पाया था। घटने के जोड़ की अस्थियों में कोई अस्थिभंग नहीं था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–21 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-5 है। उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सैन ने आहत हरेसिंह के नाक की हड़डी का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट कुमांक 1486 था, उसे डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतू रिफ़र किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर

उसने उसके नाक की हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—22 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए—6 है।

- 28. साक्षी डॉ. डी.के. राउत अ०सा०—22 के अनुसार उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सैन ने आहत आशीष कुमार के सीने का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट कमांक 1485 था, उसे डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतु रिफ्र किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने सीने की हिड्डयों में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—23 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए—7 है। आहत गणेश, देवीप्रसाद, नवलिसंह, सुरेन्द्रसिंह, हरेसिंह, नोहरिसंह, आशीष, जगत, उम्मेदिसंह की भर्ती पर्ची जो प्रदर्श पी—24 से लगायत 31 है, जिनका डॉ. समद के द्वारा उपचार किया गया था, जिनके ए से ए भागों पर डॉ समद के हस्ताक्षर है, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है।
- 29. साक्षी भागचंद झारिया अ०सा0—23 ने कहा कि वह दिनांक 08.04.2010 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी भारत की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 कमांक 27/10 धारा 279, 337, 304ए भा.दं.वि. के तहत लेख की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही भारत की सूचना पर मर्ग इंटीमेशन कमांक 12/10 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता मृतक पंचूसिह की मर्ग इंटीमेशन सूचना प्रदर्श पी—3 लेख किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर भारतिसंह की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—4 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक पंचूसिंह के शव को पी.एम. एवं आहतगण को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल मोहगांव भेजा था। उसके द्वारा प्रार्थी भारतिसंह, साक्षी रामप्रसाद, सुरेश, हरिप्रसाद, जीवनिसंह, जगदीश, भगतिसंह, जितेन्द्र, अमित, अनिल, रंजित वीरेन्द्र, भगतिसंह, जगतिसंह, सुरेन्द्रसिंह, हरेसिंह, आशीष कुमार धनीराम, गणेश, उमेदिसंह, नोहरिसंह, देवीसिंह, जोगीलाल, धनीराम तथा नैनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे।
- 30. साक्षी भागचंद झारिया अ०सा०—23 के अनुसार उसके द्वारा दिनांक 08.04.2010 को आरोपी दूबराज से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—24 दर्शित अनुसार साक्षियों के समक्ष घटना में प्रयुक्त द्वेक्टर एम.पी. 50—ए—0140 मय ट्राली के जप्त किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—25 तैयार किया था

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 29.04.2010 को वाहन मालिक नान्हीबाई से उक्त ट्रेक्टर ट्राली के दस्तावेज प्रदर्श पी—26 अनुसार जप्त किये थे जिसके ए से ए भाग उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् परीक्षण अलिम जिलानी से कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। एक्स—रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर भा.द.वि. की धारा—338 का ईजाफा कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था।

- 31. साक्षी भागचंद झारिया अ०सा०—23 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि दिनांक 08.04.2010 को अपराध कमांक 27/10 की कार्यवाही के समय प्रार्थी भारत के साथ हमराह में कौन आया था, वह नहीं बता सकता, किन्तु साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि प्रथम सूचना प्रदर्श पी—2 के ए से ए भाग का कथन भारतिसंह के बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया था, प्रदर्श पी—2 प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने मन से लेख करने के बाद उसपर प्रार्थी भारतिसंह के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर लिये थे, प्रदर्श पी—3 का मर्ग इंटीमेशन भारतिसंह के बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया था, प्रदर्श पी—4 का मौका नक्शा प्रार्थी भारत की निशादेही पर न बनाकर अपने मन से तैयार किया था, उक्त मौका नक्शा मौके पर न जाकर थाने में ही बैठकर तैयार किया। यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी—4 के मौका नक्शा पर प्रार्थी भारतिसंह के अलावा अन्य किसी स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं लिया था।
- साक्षी भागचंद झारिया अ०सा०-23 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह 32. अस्वीकार किया कि उसने स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर, इसलिये नहीं लिया, क्योंकि वह मौके पर नहीं गया था. साक्षी भारतसिंह के कथन प्रदर्श पी-5 के ए से ए भाग. साक्षी राजू पन्द्रे प्रदर्श पी-6 के ए से ए भाग, साक्षी श्रीमती उर्मिलाबाई, हरिप्रसाद, साक्षी रामप्रसाद के कथन प्रदर्श पी-1 के ए से ए भाग, साक्षी सुरेश के कथन अ से अ भाग, साक्षी जीवनसिंह के कथन अ से स भाग एवं साक्षी जगदीश पन्द्रे के कथन के अ से अ भाग, साक्षी रंजीतिसंह के कथन प्रदर्श पी-12 के ए से ए भाग, साक्षी वीरेन्द्र के कथन, साक्षी भगतिसंह के कथन प्रदर्श पी–15 साक्षी जगतिसंह के कथन प्रदर्श पी—16 के ए से ए भाग, साक्षी सुरेन्द्रसिंह क कथन साक्षी हरेसिंह के कथन साक्षी आशीष कमार के कथन, साक्षी नवलसिंह के कथन प्रदर्श पी–14, साक्षी धनीराम् गणेश, उमेदसिंह, नोहरसिंह, देवीसिंह, जोगीलाल, धनीराम, नैनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया था, उसने प्र.पी.32 का पंचनामा झुटा एवं फर्जी तैयार किया था, उसने प्र.पी.08 में साक्षियों के फर्जी हस्ताक्षर करवा लिये थे, प्र.पी.24 एवं प्र.पी.26 के जप्ती पत्र में साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं लिया था, दोनों जिप्तयां फर्जी एवं झुठी किया था, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण आलम खान से

तैयार न कराकर झूटा एवं फर्जी तैयार किया था तथा उसने प्रकरण में संपूर्ण विवेचना झूटी एवं फर्जी तरीके से किया था।

- 33. साक्षी दादूराम पटले अ.सा.24 ने कहा है कि वह दिनांक 06.04.2010 को थाना मलाजखंड में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ए.एस.आई. भागचंद झारिया के हमराह ग्राम बलगांव जाकर मृतक पंचूसिंह के शव को उनके वारसानों के साथ मय डी.सी. के सी.एच.सी. मोहगांव लाकर मृतक का पी.एम. डॉक्टर उयके से करवाया गया था। उसके बाद उनके वारसानों को शव को कफन—दफन हेतु दिया गया। उसका ड्यूटी प्रमाण पत्र प्र.पी.33 है एवं शव सुपुर्दनामा पंचनामा प्र.पी.07 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 34. साक्षी उजियारसिंह परते अ.सा.25 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। पुलिस ने उसे थाने में बुलाकर जप्ती पत्रक प्र.पी.24 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.25 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर कराये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जप्ती पत्रक प्र.पी.24 जिसमें उसने हस्ताक्षर किया है, उसमें यह बात का उल्लेख है कि आरोपी दूबराज से ट्रेक्टर जप्त किया गया था, वह पढ़ना—लिखना जानता है, वह हस्ताक्षर का मूल्य जानता है, किन्तु प्र.पी.24 पर उसने हस्ताक्षर इसलिये किया था, क्योंकि पुलिस ने उसके सामने आरोपी दूबराज से एक ट्रेक्टर जप्ती पत्रक प्र.पी.24 के अनुसार जप्त किया था, कोई व्यक्ति हस्ताक्षर उसी समय करता है, जब उसके समक्ष कोई कार्यवाही होती है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष कार्यवाही नहीं की थी, इसलिये उसने प्र.पी.24 पर थाना मलाजखंड में हस्ताक्षर किये थे तथा पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.25 तैयार किया था।
- 35. डॉ० एल.एन.एस. उयके अ.सा.26 ने कहा है कि वह दिनांक 06.04.2010 को सी.एच.सी. बिरसा के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक दादूराम पटले थाना मलाजखंड द्वारा मृतक पंचू पिता विसरामिसंह के शव को शव परीक्षण हेतु पेश करने पर उसके द्वारा मृतक के शव का शव परीक्षण किया गया था। शव परीक्षण पर उसने पाया था कि मृतक का शव ठण्डा था, पीठ के बल लेटा हुआ था, आंखों की पुतली फैली हुई थी और मुँह एवं आंख आंशिक रूप से खुले थे, दोनों हाथ और पैरों में अकड़न उपस्थित थी, चमड़ी पीलापन लिये हुये थी। उसके द्वारा परीक्षण करने पर एक खरोंच राईट रिस्ट ज्वॉइंट पर थी, एक खरोंच दांये गले की हड़डी में स्थित थी, एक खरोंच अनियमित आकार की जो दोनों घुटनों के सामने की तरफ थी तथा एक खरोंच शरीर के पिछले भाग में थी। चोट कमांक 01 से 04 साधारण प्रकृति की थी। चोट कमांक 05 फ्रेक्चर पहले से तीसरे नंबर की लेफट पसली पर था, चोट

कमांक 06 नाक के अगले भाग की हड्डी टूटी हुई थी और वहां से रक्तस्त्राव हो रहा था, जो कटा—फटा हुआ घाव अनियमित आकार लिये गंभीर प्रकृति का था तथा चोट कमांक 07 कान के उपर दांये तरफ की हड्डी टूटी हुई थी तथा फटा हुआ घाव अनियमित आकार के लिये जो जानलेवा और गंभीर प्रकृति का घाव था। मृतक का बाहरी परीक्षण करने पर उसने मृतक की कद—काठी सामान्य होना पाया था तथा आंतरिक परीक्षण करने पर उसने खोपड़ी, कपाल और कशेरूका मस्तिष्क, पर्दा पसली कोमलस्य, फुफ्फुस, श्वास नली, दाहिना फेफड़ा, बांया फेफड़ा, पेरिऑन परकार्सियम, हृदय, वृहद वाहिका, उदर का पर्दा, आंतो की झिल्ली, मुँह और ग्रासनली सभी पेल होना पाया था। आमाशय में आंशिक रूप से भोज्य पदार्थ होना पाया था, छोटी आंत में द्रवीय भोज्य पदार्थ होना पाया था, बड़ी आंत में मल मौजूद था, यकृत प्लीहा, गुर्दा पेल थे, मूत्राशय खाली था, भीतरी और बाहरी जननेन्द्रियाँ सामान्य थी। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु अत्यधिक गंभीर जानलेवा चोट के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्त्राव होने से शॉक लगने से हुई थी। उसने मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण से 06 से 12 घंटे के अंदर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.34 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 36. साक्षी अलीम जिलानी अ.सा.27 ने कहा है कि घटना लगभग तीन—चार वर्ष पूर्व की है। उसने थाना मलाजखंड के मामले में जप्तशुदा वाहन द्रेक्टर कमांक एम.पी.502453 का मैकेनिकल परीक्षण किया था, जिसके परीक्षण पर उसने वाहन के गियर, ब्रेक, स्टेरिंग, क्लच एवं टायर सही हालत में पाये थे। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी.35 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि प्र.पी.35 की इबारत उसकी हस्तिलिप में नहीं है। उक्त इबारत उसने नहीं लिखा है। पुलिस ने पहले से लिख लिया था और उसके बाद उसके हस्ताक्षर लिये। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि जब वह पहुँचा तो वाहन थाने के बाहर मैदान में था और प्र.पी.35 की लिखा—पढ़ी थाने के अंदर हुई थी तथा उसे थाने वाले परीक्षण के लिये बुलाते हैं तो वह जाता है, किन्तु वह बिना वाहन चेक किये पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर देता है।
- 37. साक्षी हरिप्रसाद अ.सा.28 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 5—6 साल पूर्व ग्राम बासिमखार में दिन के 10 बजे की है। उन लोग गांव के शिवकुमार की शादी में शामिल होकर ग्राम लगमा से बलगांव द्रेक्टर से आ रहे थे, तभी बासिमखार के पास द्रेक्टर पलट गया था, जिसे उसमें सवार बहुत से व्यक्तियों को चोटें आई थी। उसे सिर और पीछ पर चोटें आई थी। उसके बाद उन लोगों को ईलाज हेतु मोहगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। वह यह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी, परंतु द्रेक्टर का चालक वाहन को तेज गति से चला रहा

था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी चालक दूबराज वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, जिससे स्कूल तिराहा मोड़ के पास द्वाली लहराकर पलट गई थी थी। साक्षी के अनुसार वह पीछे बैठा था, इसलिये नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकता है।

- 38. साक्षी अनिल अ.सा.29 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग छः—सात साल पूर्व ग्राम बासिमखार में दिन के ग्यारह—बारह बजे की है। उन लोग गांव के शिवकुमार की शादी में शामिल होकर ग्राम लगमा से बलगांव द्वेक्टर से आ रहे थे। बासिमखार के पास द्वेक्टर पलट गया था, जिससे उसमें सवार बहुत से व्यक्तियों को चोटें आयी थीं। उस कमर पर चोटें आयी थीं। उसके बाद उन लोगों को ईलाज हेतु मोहगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। वह यह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने दुर्घटनाग्रस्त देक्टर का नम्बर याद नहीं होना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी चालक दूबराज वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, जिससे स्कूल तिराहा मोड़ के पास दाली लहराकर पलट गयी थी। साक्षी के अनुसार वह पीछे बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकता।
- 39. साक्षी गोविंदसिंह अ.सा.30 ने कहा है कि वह आरोपी एवं नान्हीबाई को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी दूबराज से एक सिलवर रंग का आयसर ट्रेक्टर तथा नीली द्वाली क्रमांक एम.पी.50 / ए-0840-41 जप्त कर जप्ती पत्रक बनाई थी। यह स्वीकार किया कि जप्ती पत्रक प्र.पी.24 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष नान्हीबाई द्वारा पेश करने पर वाहन ट्रेक्टर के कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.26 बनाया था। यह स्वीकार किया कि जप्ती पत्रक प्र.पी.26 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है उसके समक्ष कुछ जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु उसने प्र.पी.24 के सी से सी भाग पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी को गिरफतार नहीं किया था, किन्तु पुलिस के कहने पर उसने गिरफतारी पत्रक प्र.पी.26 के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किया था।

- उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को वाहन से कारित दुर्घटना में पन्छू की मृत्यु हुई थी तथा अन्य आहतगण को चोटें आई थी, परंतु क्या उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। प्रकरण में साक्षी उमेदसिंह अ.सा.19 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने आरोपी को पहचानने से इंकार किया है। यदि उक्त साक्षी की साक्ष्य और विवेचना पर तर्क के लिए विश्वास किया जाये कि प्रकरण में आरोपी द्वारा वाहन चालन किया जा रहा था, तब भी उसकी उपेक्षा और उतावलेपन के संबंध में लेशमात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। केवल साक्षी धनीराम अ.सा.21 तथा देवीप्रसाद अ.सा.20 ने घटना में ड्रायवर की गलती होने के कथन किये हैं। जबकि अन्य सभी आहतगण ने घटना में आरोपी की किसी गलती से इंकार किया है तथा घटना के समय वाहन की गति सामान्य होने के कथन किये हैं। उक्त साक्षीगण ने भी घटना में केवल आरोपी की गलती होने के कथन कर किसी प्रकार की लापरवाही अथवा असावधानी को प्रकट नहीं किया है। उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहतगण को उपहति कारित किया तथा आहत पन्छू की ऐसी मृत्यू कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है। अतः अभियुक्त दूबराज को भा.दं0सं0 की धारा–279, 337, 338 एवं 304ए के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
- 41. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 42. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन द्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50ए0849 एवं द्राली क्रमांक एम. पी.50ए.0841 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।

43. अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / — (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

